

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 207 / 2012

तारीख रजु 07.09.2012

उनवान

1 भरोसी पुत्र रामकिशन जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—वादीगण(01)

बनाम

1 रामदयाल पुत्र पपली बगै0 जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण(18)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री शांतिलाल करसौलिया एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री प्यारेलाल पोहिया, बनवारी लाल गोस्वामी एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् तकास्मा रथाई निषेद्याज्ञा स्थित बाढकरसौली तहसील हिण्डौन के खसरा न. 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 207 / 2012 भरोसी बनाम रामदयाल अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

